

DIR/19

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)--04/0007/2003--05



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28—मई 4, 2007 (वैशाख 8, 1929)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28—MAY 4, 2007 (VAISAKHA 8, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2007

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.19/सीएमडी/2007--राष्ट्रीय आवास बैंक संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ करने वाली सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

अध्याय II में - आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 14, सार्वजनिक जमा स्वीकार करना, के बाद एक नया अनुच्छेद 14ए के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“जमाकर्ताओं के हित में चल प्रभार का सृजन

14ए - सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार/धारित करने वाली सभी आवास वित्त कम्पनियों राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी की उप-धाराओं (1) एवं (2) के अनुसार उनके द्वारा निवेशित परिसम्पत्तियों पर अपने जमाकर्ताओं के हित में रा.आ.बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार चल प्रभार का सृजन करेंगी।”

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 13 April 2007

Direction No. NHB.HFC.DIR. 19/CMD/2007.—

The National Housing Bank is satisfied that, in the public interest it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall **with immediate effect**, be further amended in the following manner, namely:-

In chapter II- Acceptance of Public Deposits, after paragraph 14, of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 a new paragraph as 14A shall be inserted *viz.*

"Creation of Floating Charge in favour of the Depositors:

14A. All Housing Finance Companies accepting/holding public deposits shall create floating charge on the assets invested by them in terms of sub-sections (1) and (2) of Section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 in favour of their depositors in a manner as may be prescribed by NHB from time to time, in this behalf."

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director
